ग्राम पंचायत शमाथला विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/**2006-12669 दिनांक 7.4.2016** द्वारा **पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत शमाथला , विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग** द्वारा **किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-**

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	Kumari Suman Kashyap	01/2011 to 01/2016
2	Smt. Meena Jaret	23.01.2016 to till date

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	Sh. Shishu Pal	16.02.2010 to till date

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत शमाथला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5 (ख)	बैंक समाधान विवरणी न बनाए जाने के कारण रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में अन्तर पाया जाना	2.83
2	8	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.04
3	9	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो की राशि का उपयोग न किया जाना	2.97
4	10	दिनांक 31.03.2016 तक अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	0.25
5	11	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	2.79
6	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक स्टोर का क्रय करना	2.09

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत शमाथला, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा **दिनांक** 21.6.2016 **से** 27.6.2016 **के दौरान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु**

आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय के लिए चयनित मासों का विवरण	व्यय के लिए चयनित मासों का विवरण
2013-14	1/2014	7/2013
2014-15	3/2015	4/2014
2015-16	3/2016	5/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा **उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत** द्वारा **अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।**

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत शमाथला, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 40/2016 **दिनांक** 25.6.2016 द्वारा **सचिव, ग्राम पंचायत शमाथला से अनुरोध किया गया।**

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत शमाथला द्वारा **प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।**

(1) स्व स्त्रोत (Own Sources**):- ग्राम पंचायत शमाथला के अवधि 4/2013 से 3/2016 की स्वयं स्त्रोत एवं** Grant in Aid (Other than MANREGA, Integrated Water Shed Project & LADA) **की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) मे भी दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत** द्वारा **सूचित किया गया कि** MANREGA, Integrated Water Shed Project & LADA **के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और** Own Sources **की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है। साथ ही** MANREGA, Integrated Water Shed Project & LADA **के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को** Own Sources **की आय सहित बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में** Ledger Accounts **नहीं बनाए गए है।** Ledger Accounts **नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और** Own Sources **की आय- व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है। परिशिष्ट- 1(ख)**

Own Sources & GIA Recorded in General Cash Book

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	1449805.00	941258.00	52532.00	2443595.00	779419.00	1664176.00
2014-15	1664176.00	1032481.00	69604.00	2766261.00	519104.00	2247157.00
2015-16	2247157.00	1171400.00	104320.00	3522877.00	1034161.00	2488716.00

(2) अनुदान (Grant in Aid):- ग्राम पंचायत शमाथला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (MANREGA, Integrated Water Shed Project & LADA) **की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1(ग) में भी दिया गया है :-**

Consolidated Financial Position of MANREGA, Integrated Water Shed and LADA Grant in Aid

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	16804.00	1412215.00	6586.00	1435605.00	911076.00	524529.00
2014-15	524529.00	393546.00	13370.00	931445.00	662086.00	269359.00
2015-16	269359.00	328100.00	11949.00	609408.00	312354.00	297054.00

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत शमाथला की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत** द्वारा **रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

(ख) बैंक समाधान विवरणी

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 **के नियम** 15(1) **के अनुसार ग्राम पंचायत** द्वारा **मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत शमाथला** द्वारा **अवधि** 4/2013 **से** 3/2016 **के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹283385.00 का अन्तर पाया गया था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या** 39-39A/2016 **दिनांक** 22.06.2016 **के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था।**

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाई गई थी। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर को प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को अंतिम शेष (Note :- **दिनांक 1.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balance को सम्मलित किया गया है।)**	**2488716.00**
दिनांक 31.03.2016 को Cash in Hand और बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा	
Cash In Hand	**57280.00**
Account No.2519 Of PNB Bank	**44999.00**
Account No.00007 of HPSCBank	**358721.00**
Account No. 4904 of HPSCBank	**401139.00**
Account No. 120046 of PNB Bank	**0.00**
Account No. 1729 of HPSC Bank	**1087698.00**
Account No. 50100113253742 of HDFC	**255494.00**
Total	**2205331.00**
Difference	**283385.00**

6 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्धारा परिशिष्ट -2 में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत की आय व व्यय का प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व की ₹ 0.04 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट -2(क) में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत की ₹4318 राजस्व वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

9 अनुदान की ₹ 2.97 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट- 1(ग)) के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक अनुदान ₹ 2.97 लाख उपयोग हेतु शेष थी। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

10 अस्थाई अग्रिमों की ₹ 0.25 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाऊचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरन्त बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था , लेकिन परिशिष्ट -3 में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिम के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2016 तक अस्थाई अग्रिम की ₹25000/- समायोजन हेतु शेष थी। इस प्रकार अस्थाई अग्रिम का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत: अस्थाई अग्रिम को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

11 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹ 2.79 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹279080/- का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत्र से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत की निधि में जमा करवाई जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.09 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) मे स्टॉक स्टोर का क्रय करने हेतु औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा **₹2.09 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया , जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

13 क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c **एवं** d) **के अंतर्गत पंचायत** द्वारा **क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 ,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। पंचायत** द्वारा **क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत** द्वारा **अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई विभिन्न मदों जिनका विवरण परिशिष्ट-6 में दिया गया है , को क्रय करने के उपरांत इन्हें भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।**

14 भुगतान किए गए विभिन्न क्रय बिलों/ वाऊचर इत्यादि को ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा **सत्यापित (verified) न किए जाने बारे**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा **किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव** द्वारा **सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान विभिन्न क्रय की गई सामग्री के भुगतान बिलों की जाँच करने में पाया गया कि विभिन्न भुगतान जिनका विवरण परिशिष्ट-7 में दिया गया है , को ग्राम पंचायत प्रधान** द्वारा **सत्यापित नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।**

15 मस्टरोल के भुगतान के संदर्भ में ₹ 540 का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण में चयनित मासों के दौरान भुगतान किए गए विभिन्न निर्माण कार्यों से संबन्धित मस्टरोल की जाँच करने पर पाया गया कि मस्टरोल संख्या 1 of 6/2013**, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है, के सम्बन्ध में** ₹**540 का अधिक भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्टरोल पर माप पुस्तिका, मजदूरों** द्वारा **किए गए कार्य का कोई भी विवरण नहीं दिया गया था। अत: अधिक भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की गई राशि की**

वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Name of Work	Mustroll No.	Date of Payment	Amount Paid	Amount due	Excess payment
Repair to Panchayat Bhawan	1 of 6/2013	10.07.2013	54540	54000	540

Payment through Mustroll No. 1 of 6/2013 but no reference of MB on Mustroll. Work Progress not entered on Mustroll.

16 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा **विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत** द्वारा **निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।**

क्रम सं0	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	**निवेश रजिस्टर**	1	12
2	**अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर**	9	30
3	**मासिक बैंक समाधान विवरणी**		15(1)
4	**विभिन्न अनुदानों के खाते**(Ledgers)	7	29(1)
5	**क्लासीफाइड एबस्ट्रक्ट** (Classified Abstract)	8	29(4)
6	**अनुदान रजिस्टर**	21	61(1)
7	**निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर**	31	95(1)

17 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।**

18 विविध अनियमितताए

18.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों की राशि को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A **और पंचायत फ़ंड -**B **होगे। पंचायत फ़ंड -** A **में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र की आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड -**B **में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी।**

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय- व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु चार रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है , जिसका विवरण निम्न दिया गया है तथा साथ ही प्राप्त स्व : स्रोत्र की आय और विभिन्न अनुदानों को 9 विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था , जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार केवल दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा MANREGA, Integrated Water Shed Project और LADA के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और स्व स्तोत (Own Sources) से प्राप्त आय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

1	General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
2	Cash Book for MANREGA	इस रोकड़ बही में MANGERGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
3	Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
4	Cash Book for LADA Grant	इस रोकड़ बही में LADA Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत शमाथला द्वारा हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था, जैसे कि वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18.2 खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय-व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका , जबकि MANREGA, Integrated Water Shed Project और LADA

शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों को अलग-अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित राशि केवल MANREGA, Integrated Water Shed Project और LADA से संबन्धित है। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अंकेक्षण की ओर से ग्राम पंचायत अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए और दिनांक 31.03.2016 को अन्य अनुदानों और Own Sources के संकलित अन्तिम शेष से अन्य अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18.3 हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय- व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय- व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18.4 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत, शमाथला द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

18.5 अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की गई थी। अत: इस सम्बन्ध आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

18.6 अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

18.7 ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत शमाथला द्वारा **आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार स्टॉक रजिस्टर में रसीद बुकों की प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था। अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में सभी रसीदों को जारी किए जाने से पूर्व इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित कि जाए।**

19 लघु आपति विवरणिका : - लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

20 निष्कर्ष :- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 6/2016–खण्ड–1–4933–4936 दिनाँकः14.09.2016 शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः– परन्तु

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत शमाथला, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.